

झारखंड राज्य और अन्य

बनाम

टाटा स्टील लिमिटेड और अन्य

(सिविल अपील सं. 4285/2007)

12 फरवरी, 2016

[दीपक मिश्रा और एन. वी. रमना, न्यायाधिपति]

झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 -धारा 95 (3) (ii)-कर का स्थगन/छूट लाभ -औद्योगिक इकाइयों के लिए -प्रथम प्रतिवादी की इकाइयों को 8 वर्षों के लिए बिक्री कर के भुगतान से छूट का लाभ दिया गया-इकाइयों ने कर छूट का लाभ उठाया गया 01.08.2006 से 31.03.2006 तक 6 वर्षों के लिए -इसके बाद, जेवीएटी अधिनियम ने छूट वापस ले ली लेकिन 01.04.2006 से 31.07.2008 तक की शेष अवधि के लिए कर को स्थगित करने की अनुमति दी -शेष अवधि के लिए भी कर की छूट से कर के स्थगन में परिवर्तन के लिए प्रथम प्रतिवादी द्वारा आवेदन छूट की वापसी को चुनौती -आवेदन खारिज -अपील में, उच्च न्यायालय ने कर की मोहलत दी, हालांकि, छूट की वापसी को बरकरार रखा -अपील पर, ठहराया: अधिसूचना एक स्पष्ट अभिधारणा रखती है कि कुल स्थगित राशि का पुनर्भुगतान करना होगा दस समान छः मासिक किस्तें इस प्रकार दी जाएँ कि स्थगन प्रारंभ होने की तिथि से 13 वर्ष के

भीतर पूरी की जा सकें -"स्थगन प्रारंभ होने की तिथि से" शब्दों का प्रारंभ में बताई गई निति के साथ संबंध होना चाहिए -तत्काल में मामले में, छूट की अवधि को कर के स्थगन की अवधि में बदल दिया गया है -यह 8 वर्षों के लिए है -पुनर्भुगतान अनुसूची स्थगन की पात्रता अवधि की समाप्ति से 5 वर्ष है -5 वर्ष की अवधि को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि यह 13 वर्ष से आगे न बढ़े स्थगन की तारीख से -इस प्रकार, पुनर्भुगतान अनुसूची पात्रता अवधि की समाप्ति से 5 साल की अवधि के भीतर 31.08.2013 को समाप्त होनी है, खास विशेषताओं के कारण, कोई जुर्माना नहीं लगाया गया -निर्धारिती ने पहले ही अनुपालन में राशि जमा कर दी थी इस न्यायालय के आदेश के अनुसार -इस प्रकार निर्धारिती को प्रति वर्ष 12% ब्याज का भुगतान करना होगा -बिहार वित्त अधिनियम, 1981 धारा 234 झारखण्ड मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2006 आरआर 64,66

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय द्वारा-

अभिनिर्धारित: 1.1 झारखंड मूल्यवर्धन कर अधिनियम, 2005 की धारा 95 (3) (ii)में परिकल्पना की गई है कि एक पंजीकृत विक्रेता जिसे कर की छूट का लाभ मिल रहा था, उसे जेवीएटी अधिनियम के तहत कर के भुगतान से छूट की सुविधा को शेष अवधि के लिए कर के भुगतान को स्थगित करने की सुविधा में बदलने की अनुमति है। निर्धारिती-कंपनी ने

मोहलत का लाभ उठाया है और कर की राशि का भुगतान किया है  
[अनुच्छेद 15] [943-एफ]

1.2 कर स्थगन का लाभ कुछ नियमों और शर्तों के तहत दिया जाता है। नियमों और शर्तों में से एक औद्योगिक इकाई द्वारा कर राशि के स्थगन के पुनर्भुगतान से संबंधित है। अनुच्छेद 5 के उप-अनुच्छेद (1) का पहला भाग यह निर्धारित करता है कि आस्थगित कर राशि का पुनर्भुगतान स्थगन की उपयुक्त अवधि या निश्चित पूंजी निवेश की निर्धारित प्रतिशत सीमा, जो भी पहले हो, के पूरा होने के बाद किया जाना चाहिए। मौजूदा मामले में, छूट की अवधि को कर के स्थगन की अवधि में बदल दिया गया है। यह 8 साल के लिए है। निर्धारिती ने 6 साल की अवधि के लिए छूट का लाभ उठाया था और वह 2006 में शुरू हुई शेष अवधि के लिए कर के स्थगन का हकदार है। [अनुच्छेद 27] [949-ई-एफ]

1.3 अधिसूचना स्पष्ट अभिधारणा है कि कुल स्थगित राशि का पुनर्भुगतान दस समान छह मासिक किस्तों में इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि स्थगन की शुरुआत की तारीख से 13 वर्षों के भीतर पूरा किया जा सके। शब्द "स्थगन की शुरुआत की तारीख से" का शुरुआत में बताई गई नीति के साथ संबंध होना चाहिए। यदि इकाई 01.09.1995 और 31.08.2000 के बीच शुरू हुई है तो नीति लागू होगी; कि उसके पास निर्धारित प्राधिकारी से पंजीकरण प्रमाणन है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह

है कि उसे उक्त उद्देश्य के लिए योग्यता प्रमाण पत्र दिया गया है। यह नीति तभी लागू होगी जब ये शर्तें पूरी होंगी और फिर निर्धारिती को एक निर्धारित अवधि के लिए निर्मित तैयार माल की बिक्री पर बिक्री कर के स्थगन का लाभ लेने की अनुमति दी जाएगी। इसलिए, प्राधिकरण को मोहलत देने के लिए निर्धारित अवधि तय करने की शक्ति दी गई है। शुरुआत में, प्रथम प्रतिवादी को छूट दी गई थी। छूट की अवधारणा कर के स्थगन की अवधारणा से अलग है। जेवीएटी अधिनियम लागू होने के बाद, वैधानिक प्रावधानों के तहत, कोई छूट नहीं थी और लाभार्थी स्थगन की योजना में परिवर्तित होने के हकदार थे। अवधि बरकरार है, यानी 8 साल। पुनर्भुगतान समान छह मासिक किस्तों में किया जाना है और वह अवधि 5 वर्ष है। पुनर्भुगतान स्थगन की उपयुक्त अवधि या निश्चित पूंजी निवेश की निर्धारित प्रतिशत सीमा, जो भी पहले हो, पूरा होने के बाद शुरू होता है। निर्धारित प्राधिकारी पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है लेकिन उसे अधिसूचना में निर्धारित नियमों और शर्तों को ध्यान में रखना होगा। उक्त प्राधिकारी अधिसूचना की शर्तों से परे यात्रा नहीं कर सकता है। अधिसूचना में प्रयुक्त भाषा बताती है कि प्रमाण पत्र का अनुदान ऐसा होना चाहिए कि पात्रता अवधि समाप्त होने के बाद, राशि को 5 साल की अवधि के भीतर वापस भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन अंतराल स्थगन शुरू होने की तारीख से 13 साल से अधिक नहीं हो सकता है। अधिसूचना से यह स्पष्ट नहीं होता है कि यदि कोई लाभ 8 साल या उससे कम अवधि के लिए

दिया जाता है, तो निर्धारिती यह दावा नहीं कर सकता कि पुनर्भुगतान अनुदान की तारीख से 13 साल के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। मौजूदा मामले में, निर्धारिती का दावा है कि पुनर्भुगतान अनुसूची 2006 से 13 साल की अवधि तक जारी रहनी है, क्योंकि स्थगन 2006 में ही शुरू हुआ था। इस तरह की व्याख्या न केवल अधिसूचना में प्रयुक्त भाषा पर गंभीर हिंसा का कारण बनती है। लेकिन अगर इसे इस तरह से समझने की अनुमति दी गई तो इससे एक बेतुकी स्थिति पैदा हो जाएगी। इसके अलावा, अधिसूचना से आशय यह समझा जा सकता है कि इसे 13 वर्ष की अधिकतम सीमा के साथ पात्रता की तारीख से संबंधित करना होगा। इसका मतलब पात्रता अवधि पूरी होने की तारीख से 13 वर्ष नहीं माना जा सकता है। पुनर्भुगतान अनुसूची स्थगन की पात्रता अवधि की समाप्ति से 5 वर्ष है। 5 वर्ष की अवधि को इस प्रकार व्यवस्थित करना होगा कि यह स्थगन की तारीख से 13 वर्ष से अधिक न हो। पैरा 5(1) में प्रयुक्त भाषा को उचित अर्थ देने के लिए इस तरीके से समझा जाना चाहिए। अन्यथा, निर्धारिती की ओर से दी गई व्याख्या एक विसंगतिपूर्ण स्थिति पैदा कर देगी क्योंकि पात्रता अवधि पूरी होने की तारीख से 5 साल के भीतर पुनर्भुगतान की अनुसूची तय करने का संबंध पूरी तरह से अप्रासंगिक और एक तरह से अप्रासंगिक हो जाएगा। "स्थगन की शुरुआत की तारीख से" शब्दों को निर्धारिती के वकील द्वारा सुझाए गए तरीके से अर्थ प्रदान नहीं किया जा सकता है। यह वैधानिक व्याख्या का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है कि यदि कोई

व्याख्या बेतुकेपन की ओर ले जाती है, तो उससे बचा जाना चाहिए। अधिसूचना को समग्र रूप से पढ़ा जाए तो इसकी मंशा, उद्देश्य और कार्यप्रणाली बिल्कुल स्पष्ट है। सरल शब्दों पर की गई व्याख्या वास्तव में संदर्भ से परे है। इस प्रकार विश्लेषण करने पर, अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह निकलता है कि पुनर्भुगतान अनुसूची पात्रता अवधि की समाप्ति से 5 वर्ष की अवधि के भीतर 31.08.2013 को समाप्त होनी है। [अनुच्छेद 27 ]  
[949-जी-एच; 950-ए-एच; 951-ए-सीआई]

1.4 नियमों का नियम 66 नियमों के उल्लंघन के लिए भुगतान का प्रावधान करता है। नियमों के नियम 66 के तहत परिकल्पित दंड लगाने का प्रश्न मौजूदा मामले पर लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि तत्काल मामला खास विशेषताएं पेश करता है। मामले की खास विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्धारिती-प्रथम प्रतिवादी ने इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में पहले ही राशि जमा कर दी थी और मुकदमे की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह निर्देशित किया जाता है कि प्रथम प्रतिवादी-निर्धारिती को प्रति वर्ष 12% ब्याज का भुगतान करना होगा और उक्त राशि तीन महीने के भीतर राजस्व के सक्षम प्राधिकारी के पास जमा की जाएगी। [अनुच्छेद 28] [951-डी-एफ]

तेलंगाना स्टील इंडस्ट्रीज बनाम ए. पी. राज्य 1994 तितम्बा (2)  
एससीसी 259: 1994(2)एस. सी. आर. 324; टाटा आयरन एंड स्टील  
कंपनी लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य और अन्य (2004) 7 एससीसी  
242; हंसराज गोरधनदास बनाम एच. एच. डेव, सहायक केंद्रीय उत्पाद  
शुल्क और सीमा शुल्क के कलेक्टर, सूरत और दो अन्य (1969) 2 एस.  
सी. आर. 252; उत्कल ठेकेदार और जॉइनरी प्रा. लिमिटेड और अन्य  
बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य (1987) 3 एस. सी. सी. 279: 1987 (3)  
एस. सी. आर. 317; मेसर्स डॉयपैक सिस्टम प्रा. लिमिटेड बनाम भारत  
संघ और अन्य (1988) 2 एस. सी. सी. 299: 1988 (2) एस. सी. आर.  
962; केशवजी रवजी एंड कंपनी और अन्य बनाम आयकर आयुक्त (1990)  
2 एस. सी. सी. 331: 1990 (1) एस. सी. आर. 243; महादेव प्रसाद बैस  
(मृत) बनाम आय-कर अधिकारी 'ए' वार्ड, गोरखपुर और एक अन्य (1991)  
4 एस. सी. सी. 560: 1991 (1) तितम्बा एस. सी. आर. 9; ऑक्सफोर्ड  
यूनिवर्सिटी प्रेस बनाम आयकर आयुक्त (2001) 3 एससीसी 359: 2001  
(1) एससीआर 574; राज्य टी. एन. बनाम कोडाइकनाल मोटर यूनियन  
(पी) लिमिटेड (1986) 3 एस. सी. सी. 91: 1986 (2) एससीआर 927;  
के. पी. वर्गीज बनाम आईटीओ (1981) 4 एससीसी 173: 1982 (1) एस.  
सी. आर. 629-संदर्भित।

मौसेल बनाम ओलिन्स (1975) 1 ऑल ई. आर. 16; ल्यूक बनाम आईआरसी (1964) 54 आईटीआर 692: 1963 एसी 557 (एचएल)-संदर्भित।

### केस लॉज संदर्भ

1994 (2) एससीआर 324	संदर्भित किया गया।	अनुच्छेद 2
(2004) 7 एससीसी 242	संदर्भित किया गया।	अनुच्छेद 4
(1969) 2 एससीआर 252	संदर्भित किया गया।	अनुच्छेद 18
1987 (3) एससीआर 317	संदर्भित किया गया।	अनुच्छेद 22
1988 (2) एससीआर 962	संदर्भित किया गया।	अनुच्छेद 23
1990 (1) एससीआर 243	संदर्भित किया गया।	अनुच्छेद 23
1991 (1) तितम्बा एससीआर 9	संदर्भित किया गया।	अनुच्छेद 24
2001 (1) एससीआर 574	संदर्भित किया गया।	अनुच्छेद 25
1986 (2) एससीआर 927	संदर्भित किया गया।	अनुच्छेद 25
1982 (1) एससीआर 629	संदर्भित किया गया।	अनुच्छेद 25

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नं. 4285/2007



उच्च न्यायालय झारखंड के दिनांकित 18.01.2007 निर्णय और आदेश से रिट याचिका (टी) संख्या 2664/2006 में रांची में रिट याचिका (टी) सं. 2829, 2845, 3744, 3912, 3617, 3416, 3420, 3733, 5747, 5600, 5603 & 5130/2006

अजीत कुमार सिन्हा, कृष्णानंद पांडे, जयेश गौरव, शशांक सिंह, अमरेंद्र के.चौबे अपीलार्थियों के लिए।

दुष्यंत ए. दवे, नंदिनी गोरे, कार्तिक भटनागर, अर्जुन शर्मा, खुशबू बारी, माणिक करंजावाला, देवाशीष भरुका, आसिया हसन, संजय जैन, विश्वजीत सिंह, गोपाल प्रसाद उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था

दीपक मिश्रा, न्यायाधिपति। 1. एम/एस। टाटा स्टील लिमिटेड, प्रथम प्रतिवादी ने तत्कालीन बिहार में स्थित धनबाद में एचआरपी, राउंड, स्ट्रक्चरल और अन्य लौह और इस्पात उत्पादों के उत्पादन के लिए एक विनिर्माण इकाई स्थापित की थी। बिहार राज्य ने 22.12.1995 को ऐसी औद्योगिक इकाइयों को कर छूट और/या स्थगन के लिए एक औद्योगिक नीति बनाई थी, जिन्होंने 01.09.1995 और 31.08.2000 के बीच उत्पादन शुरू किया था। उक्त नीति बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (संक्षेप में, "1981 अधिनियम") की धारा 23 ए द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी और नीति तैयार करने का उद्देश्य राज्य का औद्योगिक विकास

था। नीति में यह निर्धारित किया गया था कि ऐसी औद्योगिक इकाइयों के पास पंजीकरण प्रमाणपत्र होना चाहिए जो यह दर्शाता हो कि इकाई नीति का लाभ पाने के लिए पात्र है। यह नीति उद्योगों के विकास और निर्दिष्ट/निर्धारित क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दृष्टि से जारी की गई थी। जैसा कि स्पष्ट है, उक्त नीति के माध्यम से, सरकार का इरादा देश के विभिन्न हिस्सों से निवेशकों को चिन्हित क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आकर्षित करना था। नीति के तहत प्रमुख प्रोत्साहन में, अन्य के अलावा, नीति में निर्धारित उत्पादन शुरू होने की तारीख से सामग्री की बिक्री और खरीद पर आठ साल की बिक्री कर छूट शामिल थी। नीति में शामिल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 1981 अधिनियम के तहत छूट अधिसूचना जारी की गई थी। अपीलकर्ता ने रु.2000 करोड़ का निवेश करके जमशेदपुर में कोल्ड रोलिंग मिल स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। उचित विचार-विमर्श के बाद अंतिम निर्णय लेने के बाद, प्रथम प्रतिवादी ने प्रोत्साहन के रूप में नीति में बताए अनुसार बिक्री कर छूट देने की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए बिहार राज्य से पुष्टि की मांग की। बिहार राज्य के अधिकारियों और प्रथम प्रतिवादी के बीच कई बैठक और चर्चा के अनुसरण में, नीति में कुछ संशोधन हुए, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी को 1.02 मिलियन टन की उत्पादन क्षमता वाली कोल्ड रोलिंग मिल स्थापित करने के लिए संचार किया गया परियोजना पर 1874.04 करोड़ रु.रुपये के निवेश की

आवश्यकता है। चर्चा और संचार के संबंध में, प्रथम प्रतिवादी ने लगभग 2000 करोड़ रुपये का निवेश अपने दम पर किया और वाणिज्यिक उत्पादन 01.08.2000 से शुरू हुआ।

2. जब मामला इस प्रकार खड़ा हुआ, तो 15.11.2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 अस्तित्व में आया, जिसके परिणामस्वरूप जमशेदपुर एक नए बने राज्य, अर्थात् झारखंड का हिस्सा बन गया। नए राज्य के अस्तित्व में आने के बाद, 15.12.2000 को, झारखंड के राज्यपाल ने अधिसूचना द्वारा आदेश दिया कि 1981 अधिनियम, केंद्रीय बिक्री कर (बिहार) नियम, 1956 और उसके तहत बनाई गई अधिसूचनाएं, आदि अन्य अधिनियमों, नियमों के तहत और विनियम पूरे झारखंड राज्य में दिनांक 15.11.2000 से लागू माने जायेंगे। 21.12.2000 को, उत्तराधिकारी राज्य ने एक छूट प्रमाण पत्र जारी किया, जैसा कि बिहार राज्य वित्त और वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी पूर्व अधिसूचना में विचार किया गया था, जिसमें नई इकाइयों को छूट दी गई थी, जिसमें प्रथम प्रतिवादी द्वारा स्थापित इकाई भी शामिल थी, खरीद कर से भी, कोल्ड रोलिंग मिल के संबंध में की गई खरीद और बिक्री पर बिक्री कर के रूप में। ज्ञात हो कि उक्त प्रमाणपत्र संबंधित संयुक्त आयुक्त द्वारा उचित जांच के बाद जारी किया गया था। उचित पूछताछ के बाद, उन्होंने राय दी थी कि हालांकि सीआर उत्पाद के निर्माण के लिए कच्चा माल एचआर उत्पाद है, सीआर उत्पाद पूरी तरह से अलग है, दोनों में धातुकर्म घटकों और अंतिम उपयोग, और

दो उत्पादों को व्यावसायिक रूप से अलग-अलग उत्पादों के रूप में मान्यता दी गई थी। इसलिए, नई इकाई द्वारा निर्मित कोल्ड-रोल्ड उत्पाद पुरानी इकाई द्वारा निर्मित हॉट-रोल्ड उत्पाद से भिन्न होने के कारण, अपीलकर्ता औद्योगिक नीति के तहत बिक्री कर से छूट के हकदार थे। इसी आधार पर उन्होंने प्रमाणपत्र जारी करने की मंजूरी दी थी। हालाँकि, वाणिज्यिक कर आयुक्त, झारखंड ने 1981 अधिनियम की धारा 46(4) के तहत स्वतः संशोधन शुरू किया और तेलंगाना स्टील इंडस्ट्रीज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1994 तितम्बा (2) एससीसी 259 पर भरोसा करते हुए कहा कि दोनों उत्पादों को एक ही वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए और उत्पाद अलग-अलग वस्तु नहीं होने के कारण छूट का लाभ उपलब्ध नहीं था।

3. आयुक्त द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, प्रथम प्रतिवादी ने झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसने अंततः मामले को सक्षम प्राधिकारी को यह जांचने के लिए भेज दिया कि क्या एचआर उत्पाद और सीआर उत्पाद कंपनी की दोनों इकाइयों द्वारा निर्मित हैं एक ही या दो अलग-अलग उत्पाद हैं।

4. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य और अन्य (2004) 7 एससीसी 242 में इस न्यायालय के समक्ष उपरोक्त आदेश की आलोचना की गई। न्यायालय ने विभिन्न पहलुओं और बार में उठाई गई दलीलों पर ध्यान देते हुए इस प्रकार कहा:-

“20. हम इस तर्क को भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं। सबसे पहले, जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह राज्य का मामला नहीं है कि अपीलकर्ता द्वारा अपनी नई इकाई में निर्मित उत्पाद सीआरएम नहीं है। यह राज्य का मामला नहीं है कि बताएं कि मौजूदा इकाई या तो अपनी मशीनरी से या अपनी प्रक्रिया से एचआरएम बनाने में सक्षम है और सीआरएम नहीं या दोनों का निर्माण करने में सक्षम है। बेशक, अगर ऐसा कोई मुद्दा उठाया जाता तो इसे स्थापित करने का बोझ अपीलकर्ता पर होता। वही। जब ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया जाता है तो अपीलकर्ता के लिए ऐसे किसी भी आंतरिक साक्ष्य द्वारा उस तथ्य को स्थापित करना आवश्यक नहीं है। संयुक्त आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत तत्व हमारी राय में यह तय करने के लिए पर्याप्त थे कि अपीलकर्ता द्वारा निर्मित उत्पाद सीआरएम है या नहीं और उक्त संयुक्त आयुक्त ने एक सकारात्मक निष्कर्ष दिया है और उस निष्कर्ष में आयुक्त द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया है, हमें लगता है कि उच्च न्यायालय ने मामले को नए सिरे से जांच के लिए भेजकर गलती की है।

21. यह सच है कि आम तौर पर रिमांड के आदेश के विरुद्ध यह न्यायालय हस्तक्षेप करने में झिझकता है क्योंकि पीड़ित पक्ष के लिए अपना मामला स्थापित करने का एक और अवसर हमेशा होता है। लेकिन इस मामले में हमें ध्यान देना चाहिए कि एक औद्योगिक इकाई स्थापित करने का निर्णय अपीलकर्ता द्वारा वर्ष 1997 में ही शुरू कर दिया गया था। बिहार राज्य की औद्योगिक नीति में किए गए वादे के आधार पर, अपीलकर्ताओं ने हर स्तर पर प्रयास किया यह सत्यापित करने और पुष्टि करने के लिए कि क्या वे छूट के लाभ के हकदार हैं या नहीं और उन्हें उस छूट का आश्वासन दिया गया था। यह इन आश्वासनों पर आधारित है कि अपीलकर्ता ने भारी धनराशि का निवेश किया, जो अपीलकर्ता के अनुसार 2000 करोड़ रुपये के बराबर है, लेकिन राज्य का कहना है कि यह 1400 करोड़ रुपये तक हो सकता है। आंकड़ा जो भी हो, तथ्य अभी भी यही है कि अपीलकर्ताओं ने इसकी नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने में भारी धनराशि का निवेश किया है। मशीनरी के निर्माण, प्रगति और स्थापना के हर चरण में, संबंधित सरकार/प्राधिकरणों को सूचित किया गया था और किसी भी समय यह संदेह नहीं था कि नई इकाई एचआरएम का

निर्माण करने जा रही थी। जैसा कि विशेषज्ञों की राय से देखा जा सकता है, एचआरएम और सीआरएम के निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह से अलग है और रिकॉर्ड पर मौजूद तत्वों से यह भी पता चलता है कि एक नई इकाई के लिए प्लान्ट रचना सीआरएम के निर्माण के उद्देश्य से है। ये कारक इस तथ्य से जुड़े हैं कि कार्यवाही के किसी भी चरण में, जो उच्च न्यायालय के फैसले में परिणत हुई, प्रतिवादी राज्य ने आयुक्त द्वारा लिए गए तकनीकी आधार को छोड़कर, जो गलत पाया गया, इस तथ्य पर सवाल उठाया था, हम पाते हैं मामले को आगे की जांच के लिए भेजने से न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।"

5. ऐसा कहने के बाद, इस न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया और संयुक्त आयुक्त द्वारा कंपनी को छूट प्रमाण पत्र देने के प्रस्ताव को बहाल कर दिया और बाद में छूट प्रमाण पत्र भी दिया गया।

6. उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में, प्रथम प्रतिवादी कंपनी ने छूट का लाभ उठाया। जैसा कि तथ्य सामने आएंगे, 01.04.2006 को, झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (संक्षेप में, "जेवीएटी अधिनियम")

लागू हुआ। उससे पहले अधिनियम 1981 की धारा 7(3) के तहत जारी एक अधिसूचना एसओ संख्या. 202 दिनांक 30.03.2006 के ज़रिए झारखण्ड राज्य ने अधिसूचना संख्या 478 एवं 479 दिनांक 22.01.1995 और एसओ संख्या 57 व 58 दिनांक 02.03.2000 तुरंत प्रभाव से वापस ले ली थी जिसके परिणामस्वरूप कच्चे माल की खरीद पर बिक्री कर के भुगतान से छूट की सुविधा और उसके तैयार उत्पादों पर बिक्री कर से छूट की सुविधा वापस ले ली गई। 30.03.2006 को एक अधिसूचना, एसओ नं. 202 केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(5)(ए) के तहत अधिसूचना संख्या 481 दिनांक 22.12.1995 वापस लेने के लिए जारी किया गया था।

7. इस समय, जेवीएटी अधिनियम की धारा 95(3) (ii) का उल्लेख करना प्रासंगिक है जो निम्नानुसार है।-

#### "95. संक्रमणकालीन प्रावधान -

(3)(ii) जहां एक पंजीकृत डीलर राज्य में नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने या विस्तार, आधुनिकीकरण या विविधीकरण करने के लिए अपनाए गए बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत कर के भुगतान पर छूट की सुविधा का आनंद ले रहा था नियत दिन से ठीक



पहले, ऐसी औद्योगिक इकाइयों में, अधिनियम के तहत कर के भुगतान से छूट की सुविधा को समाप्त न होने वाली अवधि या अचल संपत्ति के मूल्य के प्रतिशत के लिए कर के भुगतान को स्थगित करने की सुविधा प्राप्त करने में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है। निर्धारित किया गया है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना द्वारा उस अधिनियम के तहत ऐसे डीलर को अनुमति दी जा सकती है।"

8. झारखंड मूल्य वर्धित कर नियम, 2006 (संक्षेप में "नियम") का नियम 64 स्थगन से संबंधित है। उक्त नियम इस प्रकार है:-

64. स्थगन.-(1)(ए) ऐसी सभी औद्योगिक इकाइयाँ, जो नियत दिन से ठीक पहले निरस्त अधिनियम और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के प्रावधानों के तहत कर के स्थगन का लाभ उठा रही थीं, और जो जारी हैं अधिनियम के तहत ऐसे नियत दिन पर पात्र होने के लिए, शेष अप्रयुक्त अवधि या अचल परिसंपत्तियों के सकल मूल्य के अप्रयुक्त प्रतिशत के लिए कर के भुगतान के ऐसे स्थगन का लाभ जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ शेष अप्रयुक्त अवधि या अचल परिसंपत्तियों के सकल मूल्य के अप्रयुक्त प्रतिशत के लिए ताजा पात्रता

प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए वृत्त के प्रभारी के समक्ष फॉर्म जेवीएटी 121 में एक आवेदन दाखिल करें, जिसमें ऐसी इकाई पंजीकृत है।

(बी) निरस्त अधिनियम में स्थगन का लाभ उठाने के लिए जारी की गई सभी प्रक्रियाएँ और प्रावधान जारी रहेंगे और अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपनाए गए माने जाएंगे।

(सी) वृत्त के प्रभारी, उप-नियम (ए) में उल्लेखित ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर एक संशोधित पात्रता प्रमाण पत्र जारी करेंगे, जिसमें शेष अप्रयुक्त अवधि या अचल परिसंपत्तियों के सकल मूल्य का अप्रयुक्त प्रतिशत दर्शाया जाएगा।

बशर्ते ऐसी औद्योगिक इकाई अधिनियम लागू होने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर उप-नियम (ए) में उल्लिखित एक आवेदन दाखिल करेगी।

बशर्ते, वृत्त प्रभारी, ऐसे आवेदन की प्राप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर शेष अवधि के लिए एक संशोधित पात्रता प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(2) ऐसी सभी औद्योगिक इकाइयाँ, जो निरस्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के खंड (बी) के तहत दी गई अपने तैयार उत्पादों की बिक्री पर कर के भुगतान से छूट का लाभ उठा रही थीं, और जो नियत दिन पर अपनी पूरी पात्रता का लाभ नहीं उठाया है, उन्हें अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3)(ii) के अनुसार, बाकी शेष अवधि के लिए कर

के भुगतान को स्थगित करने या निर्धारित अचल परिसंपत्तियों के मूल्य के अप्रकाशित प्रतिशत, जो भी पहले हो, का विकल्प चुनने की अनुमति दी जा सकती है।

बशर्ते उप-नियम (2) के तहत स्थगन के लिए पात्र किसी भी व्यापारी को अधिनियम के तहत अपनी कर देनदारी को स्थगित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह फॉर्म जेवीएटी 121 में वृत्त के संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी को आवेदन नहीं करता है, और इस तरह के आवेदन की प्राप्ति पर, वृत्त का संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी फॉर्म जेवीएटी 408 में पात्रता का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

बशर्ते कि उप-नियम (2) में उल्लेखित इस तरह के स्थगन को अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) (ii) के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

बशर्ते कि, यदि ऐसी अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है, तो शेष असमाप्त अवधि या अचल परिसंपत्तियों के मूल्य के अप्रकाशित प्रतिशत के लिए कर को स्थगित करने का विकल्प चुनने वाली औद्योगिक इकाई, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के पंद्रह दिनों के भीतर आवेदन करेगी। उस वृत्त का प्रभारी जिसमें ऐसी इकाई पंजीकृत है, और उसके बाद वृत्त का प्रभारी ऐसी जांच करने के बाद, जो उचित समझे, बाकी शेष अवधि या

अचल परिसंपत्तियों के मूल्य के अप्रकाशित प्रतिशत के लिए संशोधित पात्रता प्रमाण पत्र जारी करेगा।”

9. वैधानिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसरण में, 15 अप्रैल, 2006 को प्रथम प्रतिवादी ने कर के भुगतान के स्थगन के तहत पंजीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन में यह इस प्रकार कहा गया है: -

"01.04.2006 से प्रभावी "झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005" के अधिनियमन के साथ, छूटों को कर भुगतान के स्थगन में बदल दिया गया है। हमने टाटा स्टील की उक्त छूट को वापस लेने और कर प्रावधान के भुगतान के स्थगन द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए अपना कड़ा विरोध व्यक्त किया। हम आपसे कर के भुगतान के उक्त स्थगन के प्रावधान की समीक्षा करने और हमें सीआर उत्पादों के उत्पादन के लिए कच्चे माल और अन्य सामानों की खरीद पर मौजूदा बिक्री कर छूट का लाभ उठाने की अनुमति देने की भी प्रार्थना करते हैं बिहार औद्योगिक नीति, 1995 और उसके तहत जारी अधिसूचना के अनुसार 31 जुलाई, 2008 तक सीआर उत्पादों को बेचने पर।

वैट अधिनियम और नियमों के अनुसरण में, हमें छूट को स्थगन में परिवर्तित करने के लिए 15 अप्रैल, 2006 तक आवेदन दाखिल करना होगा और हम संलग्न निर्धारित प्रारूप जेवीएटी 121 के अनुसार, विरोध के तहत इसके लिए आवेदन कर रहे हैं।"

कर को स्थगित करने की मांग करने वाले उक्त आवेदन को दिनांक 05.05.2006 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

10. हालांकि प्रथम प्रतिवादी ने उक्त आवेदन दायर किया, उसने जेवीएटी अधिनियम की धारा 95(3)(ii) और धारा 96(3) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए डब्ल्यू.पी.(टी) संख्या 2664/2006 में उच्च न्यायालय का रुख किया। इसने अधिसूचना को वापस लेने को भी चुनौती दी और दावा किया कि कंपनी पहले से दी गई छूट का लाभ पाने की हकदार थी और उसी को वापस लेने का कोई औचित्य नहीं था। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने अन्य के साथ उक्त याचिका पर विचार किया और इस प्रकार लागू हुई:-

"55. यह मानने के बाद कि वर्तमान मामले में वचनबंधन का सिद्धांत लागू करने योग्य है, सवाल उठता है

कि याचिकाकर्ता किस राहत के हकदार थे। जैसा कि हमने देखा, भले ही विवादित अधिसूचनाएं जारी नहीं की गई थीं, छूट अधिसूचनाएं वैट अधिनियम की धारा 96(3) के मद्देनजर भी अन्यथा मृत होनी थीं और याचिकाकर्ता उसके बाद छूट के लाभ के हकदार नहीं थे। हमने वैट अधिनियम की धारा 96(3) सहित वैट अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने से इनकार कर दिया है। इसलिए, हम वैट अधिनियम की धारा 96(3) के प्रावधानों के कारण याचिकाकर्ताओं को छूट लाभ बरकरार रखने में असमर्थ हैं। हालाँकि, राज्य विभिन्न पहलुओं पर हमारे निष्कर्षों के मद्देनजर, प्रॉमिसरी/न्यायसंगत विबंध के सिद्धांत की प्रवर्तनीयता को बरकरार रखते हुए, विवादित अधिसूचनाओं को जारी करने को उचित नहीं ठहरा सकता है, जब इसका उद्देश्य धारा के तहत वैध कर स्थगन लाभ से इनकार करना भी हो। इसलिए, हम विवादित अधिसूचना एस.ओ.201 और 202 दोनों दिनांक 30 मार्च, 2006 को और आदेश दिनांक 5 मई, 2006 ने वैट अधिनियम की धारा 95(3) के तहत कर के स्थगन के दावे को रद्द करते हैं और स्वाभाविक परिणाम के रूप में याचिकाकर्ता कर स्थगन के लाभ के हकदार होंगे वैट अधिनियम की धारा 95(3) के अनुसार। इस प्रकार, हम

इन रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हैं और प्रतिवादी-राज्य को अधिसूचना एस.ओ. के साथ पढ़ी गई 1995 की औद्योगिक नीति के तहत शेष अवधि के लिए याचिकाकर्ताओं को, 478,479 और 481 सभी दिनांक 22 दिसंबर, 1995 और एस.ओ.एस. 57 और 58 दोनों दिनांक 2 मार्च 2000, वैंट अधिनियम की धारा 95(3) के प्रावधानों के अनुसार ,कर के स्थगन का लाभ देने का निर्देश देते हैं।”

उपरोक्त आदेश विशेष अनुमति द्वारा इस सिविल अपील में आलोचना का विषय है।

11. हमने अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अजीत कुमार सिन्हा और प्रथम प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दुष्यंत ए दवे को सुना है।

12. सबसे पहले, यह बताना आवश्यक है कि प्रथम प्रतिवादी ने कोल्ड रोलिंग मिल्स उत्पादों पर बिक्री कर के भुगतान से छूट का लाभ उठाया था 01.08.2000 से 31.03.2006 तक। प्रारंभ में, छूट 01.08.2000 से 31.07.2008 तक दी गई थी। यह विवाद में नहीं है कि प्रथम प्रतिवादी ने शेष अवधि यानी 01.04.2006 से 31.07.2008 के लिए कर की छूट से कर को स्थगित करने के रूपांतरण के लिए आवेदन किया था। उच्च

न्यायालय ने, जैसा कि स्पष्ट है, अधिसूचना संख्या 201 और 202 को रद्द करते हुए राज्य को जेवीएटी अधिनियम की धारा 95(3)(ii) के तहत प्रथम प्रतिवादी को कर की मोहलत देने का निर्देश दिया था। यहां इसका उल्लेख करना प्रासंगिक है क्योंकि छूट का दावा किया गया था और प्रदान नहीं किया गया था, प्रथम प्रतिवादी ने विशेष अनुमति द्वारा अपील को प्राथमिकता दी थी लेकिन उसे पहले ही खारिज किया जा चुका है। बार में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्तमान एलआईएस के लिए जो मुद्दा महत्वपूर्ण है वह है स्थगन का लाभ और चुकौती की अवधि।

13. जब विशेष अनुमति याचिका दिनांक 04.05.2007 को सूचीबद्ध की गई, तो निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया गया:-

"मामले की सुनवाई और अंतिम निपटान तक निर्धारिती एक अलग खाता खोलेगा और आज से को कर स्थगित किया जा रहा वो उस खाते में दिखाया जाएगा जो याचिका के परिणाम के अधीन होगा।"

14. यह स्वीकृत स्थिति है कि निर्धारिती ने 01.04.2006 से 31.07.2008 की अवधि के लिए उपभोक्ताओं से कर एकत्र किया था और 31.07.2008 के बाद कर एकत्र करना बंद कर दिया था। यहां यह ध्यान



रखना उचित है कि 12.07.2013 को, आईए संख्या 1/2013 में, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

“एलआईएस के पक्षकारों के वकील को सुनने के बाद, हमारी राय है कि प्रतिवादी संख्या 1 को 186.70 करोड़ रुपये की पूरी राशि तक छह मासिक किश्तों में प्रत्येक को 25 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। अपीलकर्ता-आवेदक को पहले से भुगतान की गई 20 करोड़ रुपये की राशि को छोड़कर, अपीलकर्ता-आवेदक को भुगतान किया जाता है। 25 करोड़ रुपये की पहली किस्त का भुगतान 31.8.2013 तक किया जाएगा।”

15. बार में हमारा मूल्यांकन किया गया है कि उक्त राशि का भुगतान कर दिया गया है। हम दोहराने की कीमत पर दोहरा सकते हैं कि छूट का मुद्दा जीवित नहीं है और इसे प्रथम प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री डेव द्वारा उचित रूप से स्वीकार किया गया है। विचार के लिए उठने वाला एकमात्र मुद्दा स्थगन नीति की व्याख्या है जेवीएटी अधिनियम के तहत उल्लेखित प्रावधानों के संदर्भ में। धारा 95(3) (ii) में परिकल्पना की गई है कि एक पंजीकृत व्यापारी जो कर छूट का लाभ ले रहा था, उसे

जेवीएटी अधिनियम के तहत कर के भुगतान से छूट की सुविधा को परिवर्तित करने की अनुमति है। असमाप्त अवधि के लिए कर के भुगतान को स्थगित करने की सुविधा। निर्धारिती-कंपनी ने स्थगन का लाभ उठाया है और कर की राशि का भुगतान किया है। शिकायत का विवरण उस अवधि से संबंधित है जिसके भीतर राशि का भुगतान किया जाना था। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्रीमान सिन्हा का कहना है कि कर के स्थगन की गणना इस तरह से की जानी चाहिए ताकि अधिसूचना में प्रदान की गई तेरह वर्षों की अवधि की गणना वर्ष 2000 से वर्ष 2013 तक समाप्त हो सके। संक्षेप में उनका तर्क है, चूंकि निर्धारिती निर्धारित अवधि के भीतर आस्थगित कर का पुनर्भुगतान करने में विफल रहा है, इसलिए निर्धारिती इसके लिए बाध्य है विलंबित अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करें।

16. उपरोक्त कैविल का आधार होने के नाते, हम एसओ संख्या 480 दिनांक 22.12.1995 के प्रासंगिक अनुच्छेद को संदर्भित करने के लिए बाध्य हैं। वे इस प्रकार पढ़े जाते हैं:-

"एस.ओ. संख्या. 480, दिनांक 22-12-1995:-बिहार  
वित्त अधिनियम, 1981 (बिहार अधिनियम संख्या 5, 1981)  
भाग 1 की धारा 23 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, बिहार के राज्यपाल इस बात से संतुष्ट होने पर कि औद्योगिक विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है, उन नई इकाइयों को अनुमति देने में प्रसन्नता हो रही है जिन्होंने 01-09-1995 से 31-08-2000 के बीच उत्पादन शुरू किया था और जिनके पास निर्धारित प्राधिकारी से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र है और उन्हें पात्रता प्रमाण पत्र दिया गया है इस प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित नियमों और शर्तों के तहत निर्मित तैयार माल की बिक्री पर देय बिक्री कर को एक निर्धारित अवधि के लिए स्थगित करने की अनुमति है:

X X X X X

5. औद्योगिक इकाइयों द्वारा स्थगित कर राशि का पुनर्भुगतान:-

औद्योगिक इकाइयों द्वारा स्थगन कर राशि का पुनर्भुगतान:-

(1) स्थगन कर राशि का पुनर्भुगतान स्थगन की पात्रता अवधि या निश्चित पूंजी निवेश की निर्धारित प्रतिशत सीमा, जो भी पहले हो, के पूरा होने के बाद करना होगा। कुल स्थगन राशि का पुनर्भुगतान दस समान छह-मासिक किस्तों में इस प्रकार करना होगा कि स्थगन शुरू होने की तारीख से 13 वर्षों के भीतर पूरा किया जा सके।

(2) भाग (1) में बताई गई निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद स्थगन राशि का भुगतान न करने की स्थिति में, चुकाने योग्य राशि पर 2.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज उस माह तक देय होगा। भुगतान कर दिया है। इस भाग के प्रयोजन के लिए, महीने का एक भाग पूरा महीना माना जाएगा।

(3) यदि कोई इकाई निर्धारित अवधि के भीतर आस्थगित राशि के पुनर्भुगतान में चूक करती है, तो उपरोक्त भाग (2) में बताए अनुसार ब्याज सहित देय राशि की वसूली के लिए बिहार वित्त अधिनियम, 1981 भाग 1 के सभी उपयुक्त प्रावधानों का पालन किया जाएगा। कर की वसूली, बकाया राशि की वसूली और जुर्माना लगाने के साथ-साथ धारा 49 के तहत अभियोजन अधिनियम के तहत की गई अन्य कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लागू होगा।"

[महत्व डाला गया]

17. अधिसूचना में प्रयुक्त भाषा पर भरोसा करते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिन्हा द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उक्त अधिसूचना में विचार के अनुसार 13 वर्षों की गणना के उद्देश्य से कर का स्थगन 31.08.2000 से शुरू होना चाहिए। अनुच्छेद 5(1) में प्रयुक्त शब्द "स्थगन की शुरुआत की तारीख से" का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि वे स्थगन के व्यक्तिगत मामले के आधार पर निर्धारक हैं, लेकिन उन्हें

यह समझना होगा कि स्थगन के लाभ का अनुदान है आस्थगित कर के पुनर्भुगतान से जुड़ा हुआ है और उस संदर्भ में ऐसा करना होगा कि पुनर्भुगतान की अवधि 13 साल के भीतर, यानी 31.08.2013 को पूरी हो जाए।

18. उक्त प्रस्तुतीकरण का खंडन करते हुए, निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दवे द्वारा यह प्रचारित किया गया है कि स्थगन की शुरुआत की तारीख वह तारीख होनी चाहिए जब स्थगन शुरू होता है और 13 साल की अवधि की गणना उस तारीख से की जानी चाहिए। उस आधार पर, उनका आग्रह है कि पुनर्भुगतान की अवधि 2006 से 13 वर्ष की समाप्ति के बाद ही समाप्त होगी, जिस वर्ष उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कर का स्थगन शुरू हुआ था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस बात पर जोर दिया है कि जब अधिसूचना में प्रयुक्त भाषा बिल्कुल सरल और स्पष्ट है, तो उसमें प्रयुक्त शब्दों के लिए स्पष्ट शब्दों का अर्थ जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उक्त उद्देश्य के लिए, उन्होंने हंसराज गोर्धनदास बनाम एच.एच. दवे, सहायक कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, सूरत और दो अन्य (1969) 2 एससीआर 252 के मामले में प्राधिकरण पर भरोसा किया है।

19. हमने अधिसूचना के प्रासंगिक अनुच्छेद पहले ही पुनः प्रस्तुत कर दिए हैं। उसमें प्रयुक्त भाषा के संबंध में, हमें हंसराज गोर्धनदास

(उपरोक्त) में जो बताया गया है उसकी सराहना करनी होगी। विद्वान वरिष्ठ वकील श्री डेव ने जिस अंश से प्रेरणा ली है वह इस प्रकार है:-

"प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया कि छूट देने का उद्देश्य सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित करना था, जो न केवल सूती कपड़े का उत्पादन करती थीं, बल्कि इसमें ऐसे सदस्य भी शामिल थे, जो न केवल चार से अधिक पावर-लूम के मालिक थे, बल्कि वास्तव में उनका संचालन भी करते थे। उनके सोसायटी में शामिल होने से तुरंत पहले के तीन वर्षों के दौरान नीति यह थी कि ऐसे प्रत्येक सदस्य को अपना करघा स्वयं चलाने के बजाय, दूसरों के साथ मिल कर एक सोसायटी बनानी चाहिए, जो, सहयोगात्मक प्रयास से कपड़ा उत्पादन करना चाहिए। इरादा यह था कि उत्पादित वस्तुएं जिनके लिए छूट का दावा किया जा सकता है, वे समाज द्वारा अपनी ओर से उत्पादित वस्तुएं होनी चाहिए। हम उत्तरदाताओं की ओर से रखे गए तर्क को सही मानने में असमर्थ हैं। 31 जुलाई 1959 और 30 अप्रैल 1960 की अधिसूचनाओं की भाषा के सही निर्माण पर यह स्पष्ट है कि छूट का दावा करने के लिए केवल यह आवश्यक है कि सूती कपड़ों का उत्पादन सहकारी समिति

के स्वामित्व वाले पावर-लूम पर किया जाना चाहिए। दोनों अधिसूचनाओं के तहत कोई और आवश्यकता नहीं है कि सूती कपड़ों का उत्पादन सहकारी समिति द्वारा पावर-लूम पर "स्वयं के लिए" किया जाना चाहिए। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कर कानून में किसी भी इरादे के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन शब्दों के स्पष्ट अर्थ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पूरा मामला पूरी तरह से अधिसूचना की भाषा से संचालित होता है। यदि करदाता छूट की स्पष्ट शर्तों के भीतर है, तो छूट देने वाले प्राधिकारी के किसी भी कथित इरादे की सहायता के लिए उसे इसके लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। यदि इस तरह का इरादा अधिसूचना के शब्दों के निर्माण से या उसके आवश्यक निहितार्थ से एकत्र किया जा सकता है, तो मामला अलग है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है।"

[रेखांकित हमारा है]

20. इस प्रकार, उपरोक्त निर्णय से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कर संबंधी कानून में किसी भी इरादे के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन शब्दों के स्पष्ट अर्थ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पूरा मामला पूरी तरह से

अधिसूचना की भाषा से संचालित होता है। यह संविधान पीठ द्वारा भी माना गया है, यदि करदाता छूट की स्पष्ट शर्तों के भीतर है, तो उसे छूट देने वाले प्राधिकारी के किसी भी कथित इरादे की सहायता करके इसके लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, उसमें यह भी कहा गया है कि यदि अधिसूचना के शब्दों के निर्माण से या उसके आवश्यक निहितार्थ से अलग-अलग इरादे एकत्र किए जा सकते हैं, तो मामला अलग है। बड़ी पीठ ने उक्त सिद्धांत को इसमें शामिल मामले में लागू नहीं किया है।

21. इस संदर्भ में, हम मौनसेल बनाम ओलिन्स (1975) 1 ऑल ईआर 16, 21, 18 में लॉर्ड रीड के शब्दों को दोहरा सकते हैं जिसमें इसे इस प्रकार देखा गया है:-

"तब के निर्माण के नियमों पर भरोसा किया जाता है। वे किसी बंधनकारी शक्ति वाले सामान्य अर्थों में नियम नहीं हैं। वे हमारे हैं सेवक हैं हमारे स्वामी नहीं। वे निर्माण में सहायक, अनुमान या संकेत हैं। ऐसा अक्सर नहीं होता कि एक 'नियम' एक दिशा की ओर इशारा करता है, दूसरा किसी अलग दिशा की ओर। प्रत्येक मामले में हमें सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को देखना होगा और निर्णय लेना



होगा कि किसी विशेष 'नियम' को कितना महत्व दिया जाए।"

22. उक्त मार्ग को उत्कल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जॉइनरी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य (1987) 3 एससीसी 279 में न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया है।

23. मेसर्स डॉयपैक सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (1988) 2 एससीसी 299 की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने व्याख्या की अवधारणा पर जोर देते हुए इस प्रकार राय दी:-

"58. कानून में शब्दों को, प्रथम दृष्टया, उनके सामान्य अर्थ दिए जाने चाहिए। जहां व्याकरणिक निर्माण स्पष्ट और प्रकट है और बिना किसी संदेह के, वह निर्माण तब तक मान्य होना चाहिए जब तक कि इसके विपरीत कुछ मजबूत और स्पष्ट कारण न हों। कुछ भी नहीं है यह प्रमाणित करने के लिए दिखाया गया है कि शाब्दिक निर्माण को प्रभावी नहीं किया जाना चाहिए। चंदावरकर एस.आर. राव बनाम आशालता (1986) 4 एससीसी 447,476 को इंग्लैंड के 44 हैल्सबरी के कानूनों को मंजूरी देते हुए देखें, चौथा संस्करण,

पृष्ठ 552 पर अनुच्छेद 856, नॉक्स बनाम डोनकास्टर अमलगमेटेड कोलियरीज लिमिटेड 1940 एसी 1014, 1022। इस पर जोर दिया जाना चाहिए वह व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) और (सी) में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए।

59. यह दोहराना होगा कि किसी क़ानून की व्याख्या का उद्देश्य अधिनियम में व्यक्त संसद की मंशा की खोज करना है। किसी क़ानून की व्याख्या करने का प्रमुख उद्देश्य क़ानून में व्यक्त विधायिका के इरादे को समग्र रूप से और उसके संदर्भ में ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करना है। वह इरादा, और इसलिए क़ानून का अर्थ, मुख्य रूप से क़ानून में इस्तेमाल किए गए शब्दों में ही खोजा जाना चाहिए, जो कि, यदि वे स्पष्ट और स्पष्ट हैं, तो उन्हें उसी रूप में लागू किया जाना चाहिए जैसे वे मौजूद हैं।

उपरोक्त सिद्धांत को केशवजी रावजी एंड कंपनी और अन्य बनाम आयकर आयुक्त (1990) 2 एससीसी 231 मामले में दोहराया गया है।

24. इस संबंध में महादेव प्रसाद बैस (मृत) बनाम आयकर अधिकारी 'ए' वार्ड, गोरखपुर और अन्य (1991) 4 एससीसी 560 का संदर्भ बिल्कुल उपयुक्त है। उक्त मामले में, यह माना गया है कि ऐसी व्याख्या से बचा जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप विसंगति या बेतुकापन हो और जहां शाब्दिक निर्माण एक विसंगति, बेतुकापन और भेदभाव पैदा करता है, वहां कानून को उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए, भले ही भाषा पर थोड़ा दबाव डाला जाए ताकि अर्थहीन विसंगति बचा जा सके। इस सिद्धांत पर जोर दिया गया है कि यदि कोई व्याख्या बेतुकेपन की ओर ले जाती है, तो उससे बचना अदालत का कर्तव्य है।

25. ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस बनाम आयकर आयुक्त (2001) 3 एससीसी 359 मोहापात्रा न्यायाधिपति ने राय दी है कि व्याख्या को वैधानिक प्रावधान के इरादे और उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। उस संदर्भ में, विद्वान न्यायाधीश ने टी.एन. राज्य बनाम कोडाइकनाल मोटर यूनियन (पी) लिमिटेड (1986) 3 एससीसी 91 में प्राधिकरण का उल्लेख किया है जिसमें के.पी. वर्गीस बनाम आईटीओ (1981) 4 एससीसी 173 और ल्यूक बनाम आईआरसी (1964) 54 आईटीआर 692: 1963 एसी 557 (एचएल) का जिक्र करने के बाद इस न्यायालय ने कहा है:-

“अदालतों को हमेशा विधायिका की मंशा का पता लगाना चाहिए। हालांकि अदालतों को इस्तेमाल की गई भाषा से कानून की मंशा का पता लगाना चाहिए, लेकिन अक्सर भाषा मानव विचार की अभिव्यक्ति का एक अपूर्ण साधन होती है। जैसा लॉर्ड डेनिंग कि कहा कि प्रत्येक वैधानिक प्रावधान को दैवीय विवेक और पूर्ण स्पष्टता के साथ तैयार किए जाने की उम्मीद करना बेकार होगा। जैसा कि नयायाधीश लर्नड हैंड ने कहा, हमें शब्दकोष से बाहर एक किला नहीं बनाना चाहिए, लेकिन याद रखें कि कानूनों का कुछ प्रयोजन या उद्देश्य होना चाहिए, जिसकी कल्पनाशील खोज है न्यायिक शिल्प कौशल। हमें हमेशा शाब्दिकता से चिपके रहने की आवश्यकता नहीं है और अन्यायपूर्ण या बेतुके परिणाम से बचने का प्रयास करना चाहिए। हमें कानून का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अप्रिय शब्दों वाले प्रावधान से अर्थ निकालना, जहां उद्देश्य न्यायिक दृष्टि के लिए स्पष्ट है भाषा के प्रति 'कुछ' हिंसा की अनुमति है।”

26. सभरवाल, न्यायाधिपति (जैसा कि उनका प्रभुत्व तब था) ने इस प्रकार देखा है:-

“यह निर्माण का सर्वमान्य नियम है कि एक वैधानिक प्रावधान को यदि संभव हो तो इस प्रकार समझा जाना चाहिए कि बेतुकापन और कुचेष्टा से बचा जा सकता है। यह माना गया कि राजस्व की ओर से सुझाए गए निर्माण से पूरी तरह से अनुचित परिणाम मिलेगा, जिसकी विधायिका द्वारा कभी भी मंशा नहीं की जा सकती थी। यह कहा गया था कि धारा 52(2) की व्याख्या में शाब्दिकता को छोड़ दिया जाना चाहिए और अदालत को एक ऐसी व्याख्या पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए जो बेतुकेपन और कुचेष्टा से बचती है और प्रावधान को तर्कसंगत, समझदार बनाती है, जब तक कि निश्चित रूप से, अदालत बंधी हुई है और उसे शाब्दिक व्याख्या के अत्याचार से बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि अब यह निर्माण का सुस्थापित नियम है कि जहां किसी वैधानिक प्रावधान की स्पष्ट शाब्दिक व्याख्या स्पष्ट रूप से बेतुका और अन्यायपूर्ण परिणाम उत्पन्न करती है, जिसका विधायिका द्वारा कभी इरादा नहीं किया जा सकता है, अदालत विधायिका द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा को संशोधित कर सकती है। या यहां तक कि इसके साथ "कुछ हिंसा भी करें", ताकि विधायिका के स्पष्ट इरादे को प्राप्त किया जा सके और एक

तर्कसंगत निर्माण किया जा सके। ऐसे मामले में अदालत वैधानिक प्रावधान में एक शर्त पढ़ सकती है, जो हालांकि व्यक्त नहीं की गई है, लेकिन वैधानिक प्रावधान में अंतर्निहित मूल धारणा को समझने में निहित है..”

27. उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना में प्रयुक्त भाषा की सराहना की जानी चाहिए। कर स्थगन का लाभ कुछ नियमों और शर्तों के तहत दिया जाता है। नियमों और शर्तों में से एक औद्योगिक इकाई द्वारा कर राशि के स्थगन के पुनर्भुगतान से संबंधित है। अनुच्छेद 5 के उप-अनुच्छेद (1) का पहला भाग यह निर्धारित करता है कि आस्थगित कर राशि का पुनर्भुगतान स्थगन की पात्रता अवधि या निश्चित पूंजी निवेश की निर्धारित प्रतिशत सीमा, जो भी पहले हो, के पूरा होने के बाद किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, छूट की अवधि को कर के स्थगन की अवधि में बदल दिया गया है। यह 8 साल के लिए है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि निर्धारिती ने 6 साल की अवधि के लिए छूट का लाभ उठाया था और वह 2006 में शुरू हुई शेष अवधि के लिए कर के स्थगन का हकदार है। यह उक्त उप-अनुच्छेद का अगला भाग है जिसे समझा जाना आवश्यक है। अधिसूचना में स्पष्ट प्रावधान है कि कुल स्थगित राशि का पुनर्भुगतान दस समान छह मासिक किस्तों में इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि स्थगन की शुरुआत की तारीख से 13 साल के भीतर पूरा किया जा सके।

शब्द "स्थगन की शुरुआत की तारीख से" का शुरुआत में बताई गई नीति के साथ संबंध होना चाहिए। यदि इकाई 01.09.1995 और 31.08.2000 के बीच शुरू हुई है तो नीति लागू होगी; कि उसके पास निर्धारित प्राधिकारी से पंजीकरण प्रमाणन है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके उक्त उद्देश्य लिए पात्रता प्रमाणपत्र दिया गया है। यह नीति तभी लागू होगी जब ये शर्तें पूरी होंगी और फिर निर्धारित को एक निर्धारित अवधि के लिए निर्मित तैयार माल की बिक्री पर बिक्री कर के स्थगन का लाभ लेने की अनुमति दी जाएगी। इसलिए, प्राधिकरण को मोहलत देने के लिए निर्धारित अवधि तय करने की शक्ति दी गई है। शुरुआत में, प्रथम प्रतिवादी को छूट दी गई थी। छूट की अवधारणा कर के स्थगन की अवधारणा से अलग है। जेवीएटी अधिनियम लागू होने के बाद, वैधानिक प्रावधानों के तहत, कोई छूट नहीं थी और लाभार्थी स्थगन की योजना में परिवर्तित होने के हकदार थे। अवधि बरकरार है, अर्थात् 8 वर्ष। पुनर्भुगतान समान छह मासिक किस्तों में किया जाना है और वह अवधि 5 वर्ष है। पुनर्भुगतान स्थगन की पात्रता अवधि या निर्धारित प्रतिशत सीमा के पूरा होने के बाद शुरू होता है निश्चित पूंजी निवेश, जो भी पहले हो। निर्धारित प्राधिकारी पात्रता प्रमाण पत्र दे सकता है लेकिन उसे अधिसूचना में निर्धारित नियमों और शर्तों को ध्यान में रखना होगा। उक्त प्राधिकारी अधिसूचना की शर्तों से आगे नहीं बढ़ सकता है। इसमें प्रयुक्त भाषा अधिसूचना बताती है कि प्रमाण पत्र का अनुदान इस प्रकार होना चाहिए कि पात्रता अवधि समाप्त होने के बाद,

राशि को 5 साल की अवधि के भीतर वापस भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन अंतर स्थगन की शुरुआत की तारीख से 13 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। उसमें निहित अभिधारणा की यथोचित सराहना की जानी चाहिए। अधिसूचना से यह स्पष्ट नहीं होता है कि यदि कोई लाभ 8 साल या उससे कम अवधि के लिए दिया जाता है, तो निर्धारिती यह दावा नहीं कर सकता कि पुनर्भुगतान अनुदान की तारीख से 13 साल के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, निर्धारिती का दावा है कि पुनर्भुगतान अनुसूची 2006 से 13 साल की अवधि तक जारी रहनी है, क्योंकि स्थगन 2006 में ही शुरू हुआ था। इस तरह की व्याख्या न केवल अधिसूचना में प्रयुक्त भाषा पर गंभीर हिंसा का कारण बनती है। लेकिन अगर इसे इस तरह से समझने की अनुमति दी गई तो इससे एक बेतुकी स्थिति पैदा हो जाएगी। इसके अलावा, अधिसूचना से आशय यह समझा जा सकता है कि इसे 13 वर्ष की अधिकतम सीमा के साथ पात्रता की तारीख से संबंधित करना होगा। इसका मतलब पात्रता अवधि पूरी होने की तारीख से 13 वर्ष नहीं माना जा सकता है। पुनर्भुगतान अनुसूची पात्रता जी की स्थगन अवधि की समाप्ति से 5 वर्ष है। 5 वर्ष की अवधि को इस प्रकार व्यवस्थित करना होगा कि यह स्थगन की तारीख से 13 वर्ष से अधिक न हो। इसे उचित अर्थ देने के लिए अनुच्छेद 5(1) में नियोजित भाषा को इस प्रकार समझना होगा। अन्यथा निर्धारिती की ओर से जो व्याख्या प्रतिपादित की गयी है उससे एक विसंगतिपूर्ण स्थिति पैदा होगी



क्योंकि पात्रता अवधि पूरी होने की तिथि से 5 वर्ष के भीतर पुनर्भुगतान की अनुसूची का निर्धारण के संबंध में, पात्रता अवधि पूरी होने पर यह पूरी तरह से अप्रासंगिक और एक तरह से अप्रासंगिक हो जाएगा। "स्थगन की शुरुआत की तारीख से" शब्दों को निर्धारिती के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा सुझाए गए तरीके से अर्थ प्रदान नहीं किया जा सकता है। यह वैधानिक व्याख्या का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है कि यदि कोई व्याख्या बेतुकेपन की ओर ले जाती है, तो उससे बचा जाना चाहिए। और हमें यहां यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि यदि अधिसूचना को समग्र रूप से पढ़ा जाए तो इसकी मंशा, उद्देश्य और कार्यप्रणाली बिल्कुल स्पष्ट है। शब्दों पर की गई सरल व्याख्या वास्तव में संदर्भ से परे है और इसलिए, हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस प्रकार विश्लेषण करने पर, अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह निकलता है कि पुनर्भुगतान अनुसूची पात्रता अवधि की समाप्ति से 5 वर्ष की अवधि के भीतर 31.08.2013 को समाप्त होनी है।

28. यह कहने के बाद, हम जे.वी.ए.टी. अधिनियम के तहत ब्याज और जुर्माना के अधिरोपण से निपटने के लिए आगे बढ़ते हैं। नियमों के नियम 66 में नियमों के उल्लंघन के लिए भुगतान का प्रावधान है। हम तुरंत यह स्पष्ट कर सकते हैं कि नियमों के नियम 66 के तहत परिकल्पित जुर्माना लगाने का सवाल वर्तमान मामले पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। हम ऐसा कहते हैं क्योंकि वर्तमान मामला खास विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिन्हा द्वारा प्रस्तुत

किया गया है कि अधिसूचना के अनुच्छेद 5 के उप-अनुच्छेद 2 के अनुसार राजस्व प्रति माह 2.5% ब्याज का हकदार है। निर्धारिती की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि यह शुल्क लगाने का मामला नहीं है। मामले की खास विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्धारिती-प्रथम प्रतिवादी ने इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में पहले ही राशि जमा कर दी थी और मुकदमे की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि प्रथम प्रतिवादी-निर्धारिती को प्रति वर्ष 12% ब्याज का भुगतान करना होगा और उक्त राशि तीन महीने के भीतर राजस्व के सक्षम प्राधिकारी के पास जमा की जाएगी।

29. परिणामस्वरूप, अपील का उपरोक्त शर्तों में निपटारा कर दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता चित्रा भदौरिया द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण-इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।